

राजस्थान सरकार

निदेशालय आयुर्वेद विभाग राजस्थान अजमेर।

कमांक:प.2 / लेखा-1 / यो. / बजट / 2016-17 / 10200

दिनांक: 20/5/16


आहरण वितरण अधिकारी,  
निम्नांनुसार

विषय:- आयोजना मदान्तर्गत बजट मद 2210-02-101-(02)-[01]-05  
कार्यालय व्यय अन्तर्गत शहरी चिकित्सालयों में सफाई व्यवस्था  
हेतु बजट आवंटन बाबत।

आयोजना मदान्तर्गत बजट मद 2210- 02- 101- (02)-[01]-05  
कार्यालय व्यय अन्तर्गत शहरी चिकित्सालयों में सफाई व्यवस्था हेतु निम्नांनुसार  
राशि का आवंटन किया जाता है:-

क्र.स	ऑफिस आई डी	आहरण वितरण अधिकारी का नाम	चिकित्सालय का नाम जहाँ सफाई व्यवस्था कराई जानी है	आवंटित राशि (वर्ष 2016-17) हेतु
1	13898	जि आ अ हनुमानगढ़	शौरेका	24000
2	15210	जि आ अ जयपुर अ श्रेत्र	चौमू	24000
3	16246	जि आ अ जयपुर ब श्रेत्र	महलॉ	24000
4	6095	जि आ अ जालौर	उम्मेदाबाद	24000
5	6326	जि आ अ झालावाड़	भवानीमण्डी, झालरापाटन, मनोहरथाना	72000
6	11902	जि आ अ झुन्झुनु	पिलानी, बड़वासी	48000
7	19271	जि आ अ जोधपुर	जगदम्बा - जोधपुर	24000
8	13125	जि आ अ नागौर	कुचामन सिटी, लादड़ियाँ, खजवाना	72000
9	6544	जि आ अ पाली	नाणा, घाणेराव, गुढाएन्दला	72000
10	12439	जि आ अ प्रजापगढ़	पीपलखूंट	24000
11	10681	जि.आ.अ.स0 माधोपुर	सिवाड़	24000
12	<del>10272</del>	जि आ अ <del>कसौली एरिडा</del>	रींगस	24000
13	17577	जि आ अ टोंक	मालपुरा, आंवा, झिलाय, नगरफोर्ट,	96000
14	14473	जि आ अ उदयपुर	सायरा, आयड, केजड, भिण्डर,	96000
15	12752	जि आ अ राजसमंद	राजसमन्द	24000

1. आवंटित राशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में आनुपातिक रूप से किया जाना सुनिश्चित करे।
2. आवंटित राशि से अधिक व्यय किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जावे।
3. कार्य के **scope of work** के स्पष्ट निर्धारण के पश्चात संबंधित कार्यालयाध्यक्ष सफाई कार्य के लिये सम्बन्धित नियमों के अनुसार प्रावधानों एवं नियत प्रक्रिया की पूर्ण पालना करते हुए जॉब को आउटसोर्स तरीके से पूर्ण करावें। किसी भी स्थिति में संविदा नियुक्तियाँ नहीं की जावे। कार्य को वास्तविक आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध बजट प्रावधान के अनुरूप जॉब बेसिस पर सा.वि.ले.नि.नियम एवं राज0 लोक उपापन नियम 2013 व अधिनियम 2012 के अनुसार सम्पादित करे।

  
वित्तीय सलाहकार,

क्रमांक:प.2 / लेखा-1 / यो. / बजट / 2016-17 / 10200

दिनांक: 20/5/16

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 शासन उपसचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग राजस्थान जयपुर।
- 2 समस्त उपनिदेशक, आयुर्वेद विभाग राजस्थान को भेजकर लेख है कि आवंटित राशि का व्यय नियमानुसार आनुपातिक रूप से किया जाना सुनिश्चित करावें।
- 3 प्रभारी सामान्य / सांख्यिकी शाखा कार्यालय हाजा।
- 4 सहायक लेखाधिकारी, प्रभारी, अंक मिलान, लेखा-4 प्रकोष्ठ कार्यालय हाजा।
5. प्रभारी, कम्प्यूटर शाखा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु

  
वित्तीय सलाहकार,